

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पारस बनाम मोगीलल (अप्राणी)

मुकदमा प्रा-का 111-1-20 नं० 05 सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
मे जारी हुए

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.3.22 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

पत्रावली पेश हुई करील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्राणीगण
के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाफिल
पत्रावली किये गये। तहसीलदार मौज्ज से मौका दिवा द्वाारा
हुई जिले शा-पठ किया गया। अप्राणीगण को डितकी
मर्तवा कफ-कफ कर आवापे डिलायी गई। अप्राणीगण उपस्थित
अप्राणीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध स्तरफा
कार्यवाही किये जाने के आदेश डिये जाते हैं। वहील प्रार्थीगण
का आ-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शा-पठ किया गया। पत्रावली फैलल शुमार
होकर नम्बर सै कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 06/2022/उपखण्ड

1- श्री पारस सो बाल कुमहार निवा चंदराह तहसील माण्डल जिला

-प्रार्थी

बनाम
1- श्री मांजीमाम सो नंदा कुमहार निवा चंदराह तहसील माण्डल जिला

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चंदराह पटवार हल्का चंदराह तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2505/920 कुल किता 01 रकबा 1.0117 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06/1/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चंदराह पटवार हल्का चंदराह तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2505/920 कुल किता 01 रकबा 1.0117 बीघा

बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चंदराह को 5000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथोगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निरामानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा